डॉ० गो. गि. ला. शा. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान

(राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

प्लाट नं. 5, झण्डेवालान, करोल बाग, नई दिल्ली 110005

गुरु–शिष्य–परम्परा के गुरुकुल की सम्बद्धता/स्थापना के लिए आवश्यक नियम

1. गुरुकुल में भारतीय ऋषियों की परम्परा के अनुसार गुरु–शिष्य पद्धति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।
2. गुरुकुल का संचालन प्राकृतिक वातावरण में सुचारु रूप से होना चाहिए।
3. गुरुकुल आवासीय होना चाहिए। (छात्रावास सहित)
4. गुरुकुल में आवास और शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए।
5. गुरुकुल में प्रथमा प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष तक की कक्षाएं संचालित की जानी चाहिए।
6. न्यूनतम एक कक्षा में (प्रथमा प्रथम वर्ष में तीन) (द्वितीय वर्ष में तीन) और (तृतीय वर्ष में तीन) तीन छात्र होने चाहिए। (इससे अधिक विद्यालय की व्यवस्था के अनुसार किये जा सकते हैं)
7. वेद–वेदांगादि पारम्परिक विषयों के न्यूनतम दो और आधुनिक विषय के एक आचार्य होने चाहिए।
8. गुरुकुल में न्यूनतम एक पाचक की व्यवस्था होनी चाहिए।
9. गुरुकुल में एक लघु पुस्तकालय होना चाहिए।
10. गुरुकुल संचालन का लेखा–जोखा पारदर्शी होना चाहिए।
11. गुरुकुल में छात्रों के लिए योग–क्रीडा आदि शारीरिक व्यायाम/शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

निदेशक
डा. गो. गि. ला. शा.
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्
दिल्ली सरकार, दिल्ली